कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ऋषिकेश

संख्या– दिनांक– 7/9/11

निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को इस खण्ड के अन्तर्गत ब्रेक डाऊन/राजस्व वसूली/कार्यालय प्रयोग हेतु डीजल चालित किराये पर वाहन की आवश्यकता है। इच्छुक ट्रैवल एजेन्सी एंव व्यक्ति जिसका राज्य द्वारा पंजीकृत अपना वाहन हो एंव वाहन सम्बन्धी समस्त वैध प्रपत्र हो तथा गाडी का मॉडल 2008 से पूर्व का न हो, से मोहरबन्द निविदायें दो भागों में (प्रथम भाग में धरोहर राशि तथा दूसरे भाग में दरें जो कि निविदा खुलने की तिथि से कम से कम तीन माह के लिए वैध हों) दिनांक 07.10.2011 को 15:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है जो कि दिनांक 07.10.2011को 15:30 बजे उपस्थित निविदादाता के सम्मुख अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा सार्वजनिक रूप में खोली जायेगी।

प्रत्येक निविदा प्रपत्र किसी भी कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में रू0 250/ 13.5 प्रतिशत व्यापार कर का नगद भुगतान जमा कर कार्यालय में दिनांक 06.10.2011 तक क्रय किये जा सकते है। प्रत्येक निविदा की धरोहर धनराशी रू0निम्नानुसार किसी भी राष्टीयकृत बैंक की एफ.डी.आर. /सी.डी.आर.के रूप में अधिशासी अभियंता वि0वि0 खण्ड ऋषिकेश के पक्ष में बन्धक होनी चाहिए। बिना धरोहर राशि के निविदा भाग–2 नहीं खोली जायेगी। यदि निविदा खुलने की तिथि को किसी कारण वश कार्यालय बन्द रहता है तो अगले कार्य दिवस को निविदा खोली जायेगी । अधोहस्ताक्षकर्त्ता को बिना कारण बताये निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

1. निविदा संख्या 20/2011–12 :– ग्रा0
   विद्युत वितरण उपखण्ड–द्वितीय, ऋषिकेश हेतु एक वर्ष के लिये डीजल चलित वाहन के आपूर्ति ड्राईवर सहित।
   धरोहर राशि रू0 4000.00

अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक– /वि0वि0ख0ऋ0 दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखीत को इस आशय से प्रेषित है कि उपरोक्त निविदा सूचना कम से कम स्थान में छापने की कृपा करें ।

1. सम्पादक, दैनिक राष्ट्रीय सहारा, ऋषिकेश।
2. सम्पादक, दैनिक हिन्दुस्तान (हिन्दी), ऋषिकेश।
3. नोटिस बोर्ड।

अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक– 2328 /वि0वि0ख0ऋ0 दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखीत को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उपमहाप्रबन्धक, विद्युत वितरण मण्डल (ग्रा०), 18 ई०सी० रोड़, देहरादून।
2. उपमहाप्रबन्धक (वित्त), 120–हरिद्वार रोड़, देहरादून।
3. उपमहाप्रबन्धक, (सू० प्रौ०), ऊर्जा भवन, कांवली रोड़, देहरादून।
4. नोटिस बोर्ड।

अधिशासी अभियन्ता